

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-335/2023 दिनांक 02.12.2023)

दिनांक-02.12.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना खड्डा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी की 37,600/- रुपये के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.12.2023 को थाना खड्डा पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर बहद ग्राम हनुमान मन्दिर सोहरौना के पास से मु0अ0स0 456/2023 धारा 380 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त सुनील प्रजापति पुत्र सिब्बन प्रजापति निवासी सोहरौना थाना खड्डा जिला कुशीनगर को चोरी की कुल 37,600/- रु0 के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 411 भा0द0वि0 बढ़ोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.12.2023 को वादी नीरज कुमार प्रजापति के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर अपने स्वयं के द्वारा संचालित सी0एस0पी0 से रूपये चोरी होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 02.12.2023 को आरोपी सुनील प्रजापति को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 37,600/- रु0 बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 456/2023 धारा 380 भा0द0वि0 व बढ़ोत्तरी धारा 411 भा0द0वि0 थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुनील प्रजापति पुत्र सिब्बन प्रजापति निवासी सोहरौना थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण- Edit with WPS Office

चोरी की कुल 37,600/- रु0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. SHO नीरज कुमार राय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० ओम प्रकाश यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
3. का० अमरेश यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
4. का० इसरार अहमद थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.12.2023 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु०नं० 756/2019 धारा 147/148/323/504/506/427 भादवि० से संबंधित वारण्टी रामवेलास पुत्र रामराज साकिन सुबोधिया खुर्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०नं० 756/2019 धारा 147/148/323/504/506/427 भादवि०

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामवेलास पुत्र रामराज साकिन सुबोधिया खुर्द थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. उ०नि० श्री उमेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
02. कां० आदित्य राजभर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 44 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।



कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 48 वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-62, व्यक्ति-181

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-46)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

